

विशेष नकद पैकेज हेतु आवेदन

(अवकाश यात्रा रियायत (LTC) किराया एवं अवकाश नकदीकरण के समतुल्य, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, ब्लॉक 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के रूपांतरण के संबंध में)

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12(2)/2020-E.II(A), दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में

क्रम संख्या	विवरण
1	सरकारी कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
2	स्थायी अथवा अस्थायी (यदि अस्थायी हो, तो एक जमानत बंधपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है)
3	एलटीसी के लिए घोषित एवं स्वीकृत गृह नगर
4	वह ब्लॉक वर्ष जिसके लिए अंतिम बार एलटीसी ली गई थी
5	वह ब्लॉक वर्ष जिसके लिए एलटीसी अपेक्षित है
6	परिवार के उन सदस्यों के नाम एवं संबंध, जिनके लिए एलटीसी का दावा किया जा रहा है (परिवार के सदस्यों के मामले में यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वे आवेदक के साथ रह रहे हैं तथा पूर्णतः उस पर आश्रित हैं)। “परिवार” शब्द का वही अर्थ होगा जो क्रम संख्या 2(B) में समय-समय पर संशोधित या सरकारी कर्मचारी के यात्रा भत्ता अथवा स्थानांतरण के प्रयोजन हेतु लागू संबंधित नियमों में दिया गया है।
7	क्या उनकी पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी हैं अथवा ऐसे कार्यालय में कार्यरत हैं जहाँ एलटीसी देय है। यदि हाँ, तो इस संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए कि उन्होंने संबंधित ब्लॉक वर्ष के लिए एलटीसी का लाभ नहीं लिया है / नहीं लेंगे।
8	मूल वेतन एवं वेतन मैट्रिक्स स्तर
9	लागू होने पर व्यक्ति अथवा परिवार के लिए अनुमानित किराया (उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.10.2020 के पैरा 2(c) के अनुसार)

क्रम
संख्या

विवरण

10 यदि कोई अग्रिम अपेक्षित हो (अधिकतम अनुमानित एलटीसी किराए के मूल्य का 50% तथा अवकाश नकदीकरण का 100%)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त परिवार के सदस्य मेरे साथ निवास कर रहे हैं तथा पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं।

दिनांक: _____

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

मोबाइल नं.: _____